फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 12/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/15) **श्री प्रेमप्रकाश पुरोहित व अन्य बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पुष्पेन्द्र पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री एस.पी.व्यास - वकील प्रत्यर्थी-1 से 2 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-3 **अनवान** **1. श्री प्रेमप्रकाश पिता स्व.श्री शंकरलाल पुरोहित, शिशोदियों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** **2. श्री संसारचंद पुरोहित पिता स्व.श्री शंकरलाल पुरोहित, शिशोदियों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** **3. श्री रतनलाल पुरोहित पिता स्व.श्री शंकरलाल पुरोहित, शिशोदियों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** **4. श्री परमेश्वर लाल पुरोहित पिता स्व.श्री शंकरलाल पुरोहित, शिशोदियों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** **5.** **अपीलार्थी** **1. श्री सतीश पिता स्व. श्री जगजीवनलाल पुरोहित, बी-81, प्रतापनगर, जिला चित्तौड़गढ़** **2. श्रीमती कमला पत्नि स्व. श्री जगजीवनलाल पुरोहित, बी-81, प्रतापनगर, जिला चित्तौड़गढ़** **3. तहसीलदार, चित्तौड़गढ़** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 07.02.2022 (अनवान प्रेमप्रकाश पुरोहित बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 07.02.2022 (अनवान प्रेमप्रकाश पुरोहित बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अपीलांट श्री प्रेमप्रकाश ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम शिशोदियों का सॉवता में स्थित कृषि आराजीयात जो श्री शंकरलाल पिता किशनलाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता की स्वः अर्जित है, का नामान्तरकरण उनके द्वारा की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर खोला जावे इस पर रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी श्री जगजीवन ने अधीनस्थ न्यायालय में संपत्ति से संबंधित एक वाद पत्र सिविल न्यायालय में लंबित होने का कथन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.06.2014 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः- ''चूंकी उक्त वसीयत बाबत प्रकरण न्यायालय में लम्बित है एवं निर्णय होना शेष है। अतः उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रोप की जाती है।'' • उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी श्री प्रेमप्रकाश द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील संख्या 19/2021 पेश की। उक्त अपील में तत्कालीन अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.03.2021 पारित किया कि- *अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण नामान्तकरण प्रक्रिया को ड्रॉप कर दिया है जो उचित नहीं है। राजस्व रेकर्ड को अद्यतन रखने एवं नामान्तकरण एक सरसरी वित्तीय प्रक्रिया होने के कारण तहसीलदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। विशेष रूप से जबकि अब सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में निर्णय किया जाकर प्रथम दृष्टया वसीयत को प्रभावी माना है व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को*	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 12/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/15) **श्री प्रेमप्रकाश पुरोहित व अन्य बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खारिज कर दिया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2014 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तकरण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

- उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 17/2021 दर्ज कर निर्णय दिनांक 07.02.2022 पारित किया कि **"पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया रिपोर्ट प.ह. नारेला, संलग्न दस्तावेज अनुसार इस संबंध में प्रकरण माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रकरण सं. 2661/2019 विचाराधीन होने से माननीय न्यायालय निर्णय तक पत्रावली स्थगित की जाती है।"**

उक्त आदेश दिनांक 07.02.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 12.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति मय बहस पेश की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण प्रस्तुत किया उसके आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाना न्याय सम्मत था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार में रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी श्री जगजीवन लाल की ओर से जवाब में अंकित तथ्यों की केवल मात्र अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य सिविल न्यायालय में कार्यवाही लंबित है के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरण कार्यवाही को ड्रोप किये जाने में अवैधानिकता कारित की है। क्योंकि उपरोक्त पंजीकृत वसीयत विवादित हो रही हो ऐसा कथन रेस्पोडेंट जगजीवन लाल ने अपने जवाब में अंकित नहीं किया और न ही पंजीकृत वसीयत के वैधानिकता किसी सिविल न्यायालय के समक्ष ही लंबित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कार्यवाही ड्रोप किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य होने से आप न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तकरण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बिना सुने, बिना विचार किये असद्भावना पूर्वक पुनः मात्र आर्डरशीट पर अंकन कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय के निर्णय में अंकित तथ्यों की अनदेखी की गई। सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-3, चित्तौड़गढ़ द्वारा वसीयत को प्रभावी मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, इस बात पर गौर नहीं किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण में स्पष्ट अंकित किया है कि रजिस्टर्ड वसीयत की रेफरेन्स भी की गई जो दिनांक 26.03.2004 को खारिज की दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण को समझे, दस्तावेजों का मनन किये बिना जो निर्णय दिया है, उसे निरस्त किया जावें और अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.02.2022 निरस्त फरमाया जावें और अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 ने मौखिक एवं लिखित बहस/आपत्ति में प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 एक अंतरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील के प्रावधान लागु नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होने से नामान्तरकरण कार्यवाही को लम्बित प्रकरण के निस्तारण तक स्थगित रखा, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1995 पेज 493 एवं आरआरटी 2016(2) पेज 1391 पेश किया।

राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 12/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/15) **श्री प्रेमप्रकाश पुरोहित व अन्य बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि अपीलांट श्री प्रेमप्रकाश ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम शिशोदियों का सॉवता में स्थित कृषि आराजीयात जो श्री शंकरलाल पिता किशनलाल पुरोहित, निवासी शिशोदियों का सॉवता की स्वः अर्जित है, का नामान्तरकरण उनके द्वारा की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट के पूर्वाधिकारी श्री जगजीवन द्वारा दिनांक 27.05.2014 को आवेदन दिया गया जिसमें यह वर्णित किया गया कि समस्त कृषि जायदाद, आवासीय जायदाद के बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रभावशून्य व घोषणा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के समक्ष जगजीवन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित है एवं इसके सुनवाई की पेशी दिनांक 29.05.2014 को नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट के इस आवेदन के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18.06.2014 से रेस्पोंडेण्ट के कथनों के आधार पर सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होने व निर्णय शेष होने के आधार पर पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रॉप किये जाने का निर्णय पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा इस संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिनांक 07.02.2022 को पारित कर दिया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में मूल वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या मु0 दीवानी-41 प्रकरण संख्या 11/14 निर्णय दिनांक 01.06.2019 से पारित किया है जिसमें न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेचन में निर्णय के अनुच्छेद संख्या 13 में यह वर्णित किया गया है कि ''उक्त वसीयत की रेफरेंस भी की गयी है, जो दिनांक 26.03.2004 को खारिज कर दी गयी है। इस प्रकार यह वसीयत अभी तक प्रभावशील है और प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयत को फर्जी व गलत घोषित कराने तथा निरस्त कराने की कोई कार्यवाही की गयी हो, यह भी प्रकट नहीं होता है। यद्यपि प्रार्थी ने विवादित संपत्ति का बंटवारा व घोषणा शून्य कराने का वाद पेश किया है, परंतु मात्र वाद पेश करने के आधार पर ही किसी प्रकरण में अपेक्षित अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल इस स्टेज पर उक्त वसीयत प्रभाव में है।'' माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत बाबत् उपरोक्तानुसार विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 07.02.2022 में यह अंकन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण संख्या 2661/2019 विचाराधीन है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश जारी किया हो, न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश किया गया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जावें। राजस्व रेकर्ड को अद्यतन रखने एवं नामान्तकरण एक सरसरी वित्तीय प्रक्रिया होने के कारण तहसीलदार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। विशेष रूप से जबकि अब सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में निर्णय किया जाकर प्रथम दृष्टया वसीयत को प्रभावी माना है व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को खारिज कर दिया है। यहा हम माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के **कैलाशचन्द्र बनाम छौटी, 2008 सुप्रीम (राज.) 206, 2008 2 आरएडब्ल्यु (राजजे) 825 (साईटेशनः आरएडब्ल्यु 2008(2) आरजे 825)** में यह सिद्वान्त पारित किया है कि ''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, धारा 135 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 5(43) - नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रकृति - ''काश्तकार'' शब्द की व्याप्ति - एक काश्तकार वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा लगान देय होता है - काश्तकारी एक काश्तकार एवं भूमिधारी के मध्य लगान के भुगतान के माध्यम से एक संबंध होता है - नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है - अभिनिर्धारित - केवल एक जीवित काश्तकार ही भूमिधारी (सरकार) को लगान का भुगतान कर सकता है न कि मृत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 12/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/15) **श्री प्रेमप्रकाश पुरोहित व अन्य बनाम श्री सतीश पुरोहित व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काश्तकार - किसी दर्ज काश्तकार की मृत्यु होने पर नियमानुसार उत्तराधिकार को इस अभिवाक् के आधार पर प्रास्थगन में नहीं रखा जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है - **नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है।** (प.स.8)

पुनरीक्षण स्वीकार की।''

उपरोक्त न्यायिक उद्धरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, यह कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह निर्धारित करती है कि लगान/कर किसके द्वारा देय होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा के अनुसार, एक टीनेंट वह होना चाहिए जिसके द्वारा लगान/किराया/कर देय हो। नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो भूमिधारी अर्थात राज्य सरकार को लगान का भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है इस बात का विनिश्चय करती है। उपरोक्त विधिक स्थिति अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को इस अभिवाक् के आधार पर हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश/निर्णय के विपरित जाकर नामान्तरकरण कार्यवाही को प्रास्थगन/स्थगन में नहीं रखा जाना चाहिए था कि न्यायालय के समक्ष वाद लम्बित है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान किया गया हो। ऐसे में उक्त लम्बित मुकदमे के निपटारे तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोकने का कोई मतलब नहीं है, जिसे अंतिम रूप से तय करने की प्रक्रिया में 3 वर्ष लग गए है और अभी भी कई वर्ष लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित नामान्तरकरण को प्रास्थगित/रोके रखा जाना प्रार्थी के न्यायिक, विधिक एवं सवैंधानिक अधिकारो के प्रति अत्यन्त गंभीर कुठारघात है। ऐसे में न्यायालयों के आदेशों की अवमानना की बढ़ती प्रवृति को रोका जाना व्यापक न्यायहित में आवश्यक है। यह न्यायालय 1992 आरआरडी 227 में प्रतिपादित विचार का समर्थन करती है कि नामान्तरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है जो पक्षकारों के अधिकारों को तय नही करती है और एक नामान्तरकरण को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य एक मुकदमा लम्बित है। यदि गैर-प्रार्थी/पक्षकार उसके द्वारा दायर मुकदमे में सफल हो जाता है जो उसके आधार पर एक ओर नामान्तरकरण को प्रमाणित किया जाएगा। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक स्थिति के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 एक अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय है और विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्ज किया जाना उचित एवं उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है और श्री शंकरलाल की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.07.2000 के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर